न्यायालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।
वाद संख्या–C2-112/2020

दिनांक–11.01.2021

कारावीन अभियुक्त -1. प्रमोद सहनी, जिनका मामलां वाद संख्या–C2-112/2020 अंतगर्त धारा–30(ए) एवं 30(डी) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के लिए दर्ज के संदर्भ में दि0– 15.12.2020 से कारा अभिरक्षा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मधुकान्त पाण्डेय के द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। कथित वाद में आवेदक पर लगाया गया अभियोग सरासर झुठा एवं बनावटी है। आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं है। यह कहना गलत है कि आवेदक शराब का व्यापार करता है। आवेदक का पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दि0 15.12.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक सक्षम बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक राजीव रंजन निरीक्षक मद्य निषेध, शिवहर के द्वारा दि0 14.12.2020 को गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ मद्य निषेध कर्मियों एवं प्रतिनियुक्त सैप तथा गृहरक्षक बल की सहायता से छापेमारी एवं तलाशी ली गई तो प्रमोद कुमार, पिता–श्री सिया सहनी, मल्लाही टोला, ग्राम–छतौनी, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर के पास से 1. प्लास्टिक के एक जरकिन में अवैध चुलाई शराब 05 लीटर, 2. 100 कि0ग्रा0 क्षमता वाले 2 बड़े गैलन में अवैध किण्वित जावा महुआ जमीन में गड़ा हुआ(निकालने के कम में विनष्ट) 2x100 kg, 3. चुलाई संयंत्र–1 बरामद किया गया, जिसको सारी वैधानिक प्रक्रिया उपस्थित गवाहों के समक्ष पूरी कर जप्त किया गया एवं बरामद सामान के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत वाद के नामजद अभियुक्त है तथा प्रस्तुत वाद में दि0 15.12.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदक अभियुक्त के कारा में बिताये अवधि एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. प्रमोद सहनी, के द्वारा मो0–10,000/– (दस हजार रुपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, कि अभियुक्त के दोनों जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो एवं 2. आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगें कि वे विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करेगें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

Khyati

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
दिनांक– 11.01.2021